11.8.23 उभय पक्ष उपस्थित, पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 17.8.23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

17.8.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित
वकील वादिया का वाद पत्र खारिज किया जाता है
विस्तृत निर्णय अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्रीमती भूरी बेवा कालू खारोल निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (मृतक) के बजाय—
1/1 उगमी बेवा भैरू खारोल निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल
1/2 हरकू पत्नी जमना खारोल निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

1. श्री भैरू s/o कालू खारोल निवासी -माण्डल तहसील -माण्डल
2. श्री जमना s/o कालू खारोल ———— ॥ ————
3. श्री शंकर वल्द छोगा तेली ———— ॥ ———— (मृतक) के बजाय
3/1 - भैरू s/o श्री शंकर तेली निवासी -माण्डल तहसील-माण्डल
3/2 - श्यामलाल s/o श्री शंकर तेली निवासी माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-183 53व188 मुकदमा नं0/वर्ष 48/02 निर्णय दिनांक 17-08-23 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल वैद्य Advo. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादिया अपने वाद को सिद्ध कराने मे पूर्णतया असफल रहने से वादिया का वाद खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested